

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016—फाल्गुन 14, शक 1937

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2016

क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17, 18 एवं 19 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राघवेन्द्र शर्मा, निवासी एच-07, रचना कैम्पस, फेज-2, चूना भट्टी, भोपाल को यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. अध्यक्ष का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिए होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.